उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग--1
संख्या-4175 /9-1-2017-30मेला/2017
लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938) की धारा-2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध नीचे सविस्तार वर्णित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर और 30 नवम्बर (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के बीच प्रवर्तनीय होंगे।

कार्तिक पूर्णिमा मेला गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की सीमा

पूर्व की सीमा – गंगा नदी
पश्चिम की सीमा – ग्राम बागड़पुर
उत्तर की सीमा – वार्ड नं0--14 नयाबांस बख्तावरपुर
दक्षिण की सीमा – ग्राम आलमगीरपुर

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4175(1)/9-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक अक्टूबर, 2017 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-4125 (2)/9-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
(2) उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(3) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(4) मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
(5) जिलाधिकारी, हापुड़।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।